Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 388 /12-1 दिनांक, देहरादून, 17 अगस्त 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : **जनपद हरिद्वार में केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग (राज्य मार्ग सं० 26) के कि०मी० 1 से 19 तक पेब्ड शोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 7.32 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः **आपका पत्रांक 91/FP/UK/Road/153225/2022, दिनांक 08.07.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या- **FP/UK/ROAD/153225/2022** पर आपके द्वारा लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के पत्रांक 465/12-1 दिनांक 12.08.2022 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है -

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन भाग-I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड़ कर दी गई है तथा मूल प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 44-45 में संलग्न है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों के वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है।
3	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर Row में अलग-अलग करते हुए कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग पूर्व निर्मित है। वर्तमान में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाना है, जिसमें 7 मीटर एवं 9 मीटर Row में कोई भी पेड़ स्थित नहीं है। मार्ग में जल निकासी हेतु नाला निर्माण एवं सुरक्षित यातायात हेतु पटरी निर्माण कार्य में बाधक/प्रभावित वृक्षों की सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 44-45 में संलग्न की गई है।
4	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	बिन्दु संख्या-01 के अनुसार।
5	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड़ नहीं की गई है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1-42(III) दिनांक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड़ करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis रिपोर्ट संस्तुति सहित ऑनलाईन भाग-II में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड की गई है (DSS Analysis **की प्रति संलग्न है**)।
6	प्रस्ताव में संलग्न KML File में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये हैं। मलवा निस्तारण स्थलों को KML File में दर्शाने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग पूर्व निर्मित है। वर्तमान में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाना है। इस मार्ग के पुनः निर्माण में किसी भी प्रकार का मलवा निस्तारण नहीं किया जाना है। अपितु मार्ग निमार्ण हेतु मलवे की आवश्यकता है।

7	प्रस्ताव में वैकल्पिक समरेखण की KML File प्रस्ताव में अपलोड़ करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग पूर्व निर्मित है। वर्तमान में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाना है। अतः मार्ग का कोई भी वैकल्पिक संरेखण प्रस्तावित नहीं है।
8	भारत सरकार के निर्देषानुसार स्पश्ट मलवा निस्तारण योजना संलग्न की जाय। मलवा निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि के सम्बन्ध में भूमि स्वामी की अनापत्ति संलग्न करने का कश्ट करें।	बिन्दु संख्या 6 के अनुसार।
9	परियोजना में वन अधिकार, अधिनियम, के अन्तर्गत ग्राम वासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। कृपया उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	परियोजना में वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामवासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग जनपद हरिद्वार में अवस्थित है। वर्तमान में जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायतें अस्तित्व में न होने के कारण ग्राम पंचायतों का कार्यभार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रशासकों के पास होने से कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जो कि ऑनलाईन भाग–। में अपलोड है एवं मूल प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 53 से 59 तक पर संलग्न है।

अतः कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक :– 388 /12-1 **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग को उनके उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।